न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2016 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 04.02.2016
G.C.M.S. NO. :- 2016/00063

1-भैरूलाल पिता घासीराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2-राजमल पिता रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
3-बजरंगलाल पिता रतनलाल जाति महाजन, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
4-कैलाश पिता भगवतीलाल त्रिपाठी जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
5-हीरालाल पिता सोहनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
6-कमलेश पिता बालकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
7-औंकारलाल पिता नारायणलाल जाति कुलमी, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
8-भैरूलाल पिता गोटू जाति कुलमी, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
9-जमनालाल पिता गेहरीलाल जाति कुलमी, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
10-भैरूलाल पिता किशना जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
11-किशनलाल पिता गोकल जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
12-शांतिनाथ पिता उदयनाथ जाति नाथ, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
13-भंवरलाल पिता कालू जाति प्रजापत, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
14-हजारी पिता चूना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

15-रतनलाल पिता कालू जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

16-मदन पिता बालूराम जाति रेगर, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

17-लालचन्द पिता लक्ष्मीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

18-रतन पिता गोकल जाति भील, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

19-प्यारा पिता लालू जाति भील, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

20-रमेश पिता खुमाण जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

21-प्रेमशंकर पिता मांगीलाल त्रिपाठी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

-निगराकारगण

बनाम

1-विकास विश्वास पिता कालीपदो विश्वास आयु वयस्क, निवासी नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

2-ग्राम पंचायत नंगावली, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत नंगावली, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

-गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.08.2014 द्वारा ग्राम पंचायत नंगावली, पंचायत समिति डूंगला

उपस्थिति : 1-श्री रमेशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता निगराकारगण
2-श्री मनोहर लाल दक, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत नंगावली द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष मे जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.08.2014 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नंगावली के तत्कालीन सरपंच ने अपने मिलने वाले व्यक्ति जो कि गैर निगराकार संख्या 1 है को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से गौशाला हेतु आरक्षित रखवाई गई भूमि पर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त पट्टा निः शुल्क जारी किया गया जबकि गैर निगराकार संख्या 1 निः शुल्क पट्टा आवंटन हेतु पात्र नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत नंगावली द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.08.2014 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर लाल दक ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। गैर निगराकार संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। ग्राम पंचायत, नंगावली से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, नंगावली ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत, नंगावली के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा योजनाबद्ध तरीके से निः शुल्क पट्टे जारी किये गये हैं जबकि उक्त भूमि गिरधर गोपाल गौशाला नंगावली के द्वारा उपयोग-उपभोग ली जा रही है और इस हेतु ग्राम पंचायत नंगावली में वर्ष 2010 में आरक्षित रखाने हेतु आवेदन दे दिया। मुख्य रूप से यह भूमि राजकीय हित की होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 जो मंगलवाड़ चौराहा को छोड़ते हुए नया राजमार्ग प्रस्तावित किया उसके पास है। उक्त बिन्दु पर सरपंच ने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने

चहिते मिलने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचाने एवं राज्य हित को हानि पहुंचाने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं की गई ना ही मिसल कायम की गई, स्थल निरीक्षण नहीं किया और ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया जारी कार्यवाही गुपचुप तरीके से की गई है जिससे पट्टा निरस्त योग्य है। गैर निगराकार सक्षम होकर व्यापारी लोग हैं जिनका मंगलवाड़ चौराहा पर व्यवसाय होकर राजनैतिक प्रभाव रखते हैं जिससे दिनांक 24.08.2015 को मौके पर पत्थर डालकर नींव खोदने पर आमदा हुए एवं बताया कि हमने ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त कर लिया है जिस पर उक्त पट्टे की जानकारी हुई। अतः उक्त पट्टा विधि-विपरीत होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि गिरधर गोपाल गौशाला समिति द्वारा गौशाला हेतु ग्राम पंचायत नंगावली की आराजी नम्बर 1843 को आरक्षित कराने का तथ्य पूर्णतः मिथ्या मनगढन्त व बेबुनियाद है तथा इस हेतु ग्राम पंचायत में कोई आवेदन दिया गया हो यह तथ्य भी मिथ्या व बनावटी है। उक्त आराजी नम्बर 1843 किसी भी रूप में गौशाला एवं ग्रामवासियों के उपयोग की नहीं है जिससे निगराकारगण का किसी भी प्रकार का हित निहित नहीं है। गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को निः शुल्क आवंटन की पात्रता रखने से सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 3 दिनांक 21. 08.2014 के तहत आराजी नम्बर 1843 में विधि अनुसार जिन आवेदकों ने भूखण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस पर सर्वसम्मति से नियम 158 के तहत नियमानुसार प्रस्ताव लेकर 40 व्यक्तियों को अलग-अलग भूखण्डों का आवंटन किया गया है जो हर प्रकार से विधि-अनुसार है। विवादित पट्टे वाली भूमि न तो गौशाला नंगावली द्वारा उपयोग ली जा रही है और ना ही ऐसी कोई गौशाला का गठन किया गया है और ना ही गौशाला हेतु उक्त भूमि का आवंटन हुआ है। गैर निगराकार संख्या 1 के पास उसके निवास का कोई मकान उपलब्ध नहीं होने से इसी कारण उसे पात्रता रखने से भूखण्ड आवंटन किया गया है। जो पूर्णतया विधि-सम्मत् है। अतः निगराकारगण की निगरानी सव्यय खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत, नंगावली द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकारगण ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत, नंगावली द्वारा उक्त विवादित पट्टा गौशाला हेतु आरक्षित भूमि पर जारी करना बताया है किन्तु निगराकारगण ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त पट्टा गौशाला हेतु आरक्षित भूमि पर जारी करने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

जहां तक अधिवक्ता निगराकारगण ने पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदन नहीं लेने, मौका निरीक्षण नहीं करने तथा पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं कर पट्टा जारी करने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, नंगावली द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार, विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार संख्या 1 से नियमानुसार आवेदन प्राप्त किया है जिस पर विधिवत् मिसल कायम कर उक्त पट्टे की भूमि का नक्शा बनाया गया है एवं आबादी भूमि के निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नियुक्त कर मौका निरीक्षण भी किया गया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नियमानुसार नोटिस/सूचना पत्र भी जारी किया गया है तथा आम सूचना का समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन भी कराया है।

निगराकारगण ने वर्ष 2010 में गौशाला हेतु उक्त आराजीयात आरक्षित कराने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत, नंगावली में प्रस्तुत करने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा 2010 में पेश किए गए आवेदन की छायाप्रति आदि प्रस्तुत नहीं की है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो।

निगराकारगण द्वारा अपनी निगरानी में यह तथ्य भी अंकित किया है कि गैर निगराकार संख्या 1 निः शुल्क पट्टा आवंटन हेतु पात्र नहीं है किन्तु अपने कथन की पुष्टि मे ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके उक्त कथन की पुष्टि होती हो। साथ ही अधिवक्ता निगराकारगण यह भी साबित करने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को गलत तरीके से अथवा अवैध पट्टा जारी किया गया हो केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है तथा निगराकारगण ने अपनी निगरानी में वर्णित/अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.08.2014 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)